भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 2940
उत्तर देने की तारीख : 21.03.2022

कोविड हॉट स्पॉट के रूप में विद्यालयों का उपयोग

†2940. श्री बैन्नी बेहनन:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) क्या देश भर में कई स्कूल कोविड हॉटस्पॉट बन रहे हैं; और
(ख) यदि हां, तो ऐसे स्कूलों में छात्रों और शिक्षकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अन्नपूर्णा देवी)

(क) और (ख) : शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची में है और अधिकांश स्कूल संबंधित राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों के कार्यक्षेत्र के तहत आते हैं। स्कूलों को खोलना और बंद करना राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के अधिकार क्षेत्र मे आता हैं। गृह मंत्रालय (एमएचए) ने अपने आदेश संख्या 40-3/2020-डीएम-I (ए) दिनांक 30 सितंबर, 2020 में कहा है कि राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र सरकारें 15 अक्टूबर 2020 के बाद, श्रेणीबद्ध तरीके से स्कूलों को फिर से खोलने के संबंध में निर्णय ले सकती हैं, स्थिति के आकलन के आधार पर संबंधित स्कूल/संस्थान प्रबंधन के परामर्श से निर्णय लिया जाएगा।

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने 5 अक्टूबर, 2020 को अनलॉक-5 के लिए गृह मंत्रालय (एमएचए) के दिशानिर्देश जारी करने के बाद स्कूलों को फिर से खोलने के लिए स्वास्थ्य और सुरक्षा सावधानियों के संबंध में विस्तृत एसओपी/दिशानिर्देश जारी किए हैं। इन दिशानिर्देशों को दिनांक 17 दिसंबर, 2021 के पत्र के तहत संशोधित किया गया है। इन दिशानिर्देशों को क्रमशः निम्नलिखित लिंक पर देखा जा सकता है।

https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/SOP_Guidelines_for_reopening_schools_0.pdf

https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/Modifications_SoP.pdf

इसके अतिरिक्त, देश भर के सभी स्कूलों में "कोविड -19 उपयुक्त व्यवहार के प्रति सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रतिक्रिया" नामक एक अभियान चलाया गया। इस संबंध में, अभियान के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए दिनांक 1.10.2020 को राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों और अन्य हितधारकों के साथ एक आभासी बैठक आयोजित की गई थी। सभी स्कूलों में कार्यान्वयन के लिए एक कोविड कार्य योजना तैयार की गई और राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के साथ साझा की गई। कार्य योजना में अभियान के लिए विभिन्न हितधारकों की सुझाई गई भूमिकाएं और जिम्मेदारियां शामिल थीं। सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोध किया गया था कि वे राज्य और जिला स्तर पर नोडल अधिकारी नियुक्त करके, सभी स्कूलों में संचार अभियान आयोजित करके, आभासी पीटीए बैठकें आयोजित करके और शिक्षण-कक्ष आदान-प्रदान में कोविड उपयुक्त व्यवहार को शामिल करके योजना को लागू करें।

******